प्रेस विज्ञप्ति

05.07.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय ने 04.07.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गोवा और पुणे में 08 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। यह तलाशी अवैध रूप से भूमि हड़पने के एक मामले में जॉन पॉल वैलेस, संदीप वजारकर और उनके सहयोगियों के खिलाफ पीएमएलए जांच का हिस्सा थी।

ईडी ने उत्तरी गोवा के पोरवोरिम पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। यह मामला शिकायतकर्ता श्री जेरोनिमो ओलिवेरो डिसूज़ा की उत्तरी गोवा के सोकोरो में सर्वे नंबर 210/5 पर 5,000 वर्ग मीटर की पैतृक जमीन को अवैध रूप से हड़पने की आपराधिक साजिश से संबंधित है।

यह जांच कार्यप्रणाली से संबंधित है, जहां आरोपी ने कथित तौर पर एक धोखाधड़ी सूची कार्यवाही (सं. 134/2019/सी) बनाने की साजिश रची। इस दस्तावेज़ में झूठा दावा किया गया कि श्रीमती सैंड्रा डे सा और श्रीमती मौरीन सलदान्हा के पिता का नाम शिकायतकर्ता के पिता के समान था, जिससे संपत्ति का धोखाधड़ी से दोनों बहनों के नाम पर हस्तांतरण संभव हो गया। इसके बाद, श्री जॉन पॉल वैलेस ने पुणे में उनसे पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) प्राप्त की और भूमि को भूखंडों में विभाजित करने और उन्हें कई खरीदारों को बेचने का काम किया। पीओए के निष्पादन के लिए संदीप वज़ारकर जॉन पॉल वैलेस के साथ पुणे गए और भूखंडों के लिए खरीदारों की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पीएमएलए जांच के दौरान संदीप वजारकर ने दलाली के रूप में ₹10 लाख प्राप्त करने की बात स्वीकार की। जांच में संदीप वजारकर के व्यक्तिगत और व्यावसायिक बैंक खातों में बड़ी मात्रा में, अस्पष्टीकृत नकदी जमा होने का भी पता चला।

इसमें शामिल लोगों के आवासीय और कार्यालय परिसरों में की गई तलाशी के परिणामस्वरूप कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अचल संपत्तियों और नकद प्रविष्टियों के रिकॉर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। प्रमुख जब्तियों में बिक्री के विभिन्न विलेख, पावर ऑफ अटॉर्नी, कई इन्वेंट्री कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज और नकद भुगतान के विवरण वाली एक डायरी शामिल है। ये वस्तुएं मुख्य रूप से संदीप अर्जुन वजारकर, जॉन पॉल वैलेस, संदीप मांजरेकर और अविनाश नाइक के आवासों से जब्त की गईं।

जब्त किए गए साक्ष्यों की जांच की जा रही है और उम्मीद है कि इनसे अपराध की आय का पता लगाने तथा भूमि हड़पने की साजिश की चल रही जांच को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण सुराग मिलेंगे।